

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL



AN 339791

राजस्थान RAJASTHAN

शपथ-पत्र / बन्ध पत्र (AFFIDAVIT / BOND) प्रारूप ::

मैं जादम खां पुत्र/पत्नी श्री बच्चे खां जाति मुसलामन उम्र 50 साल निवासी- मारख का गाँव, ग्राम पंचायत सियाम्बर तहसील सम जिला- जैसलमेर राजस्थान का निवासी हूँ। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ :-

- 1- कि मेरी संस्था का नाम मंगलिया गौशाला संस्थान मारख का गाँव सियाम्बर एवं इस संस्था का रजिस्ट्रेशन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक 160/जैसल/2005-206 दिनांक 21.11.2005 तथा राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक दिनांक है।
- 2- मेरी गौशाला/पशुशिविर के संचालन का स्थान मंगलिया गौशाला संस्थान मारख का गाँव सियाम्बर तहसील का नाम सम जिले का नाम जैसलमेर है।
- 3- मैं इस गौशाला/पशु शिविर का पिछले 15 वर्षों से संचालित कर रहा हूँ मेरी गौशाला / पशु शिविर में वर्तमान में 200 बड़े 20 छोटे कुल 220 पशु संधारित है।
- 4- मुझ ज्ञात है कि जिला कलक्टर/राज्य स्तर से पशु शिविर का अकस्मिक निरीक्षण/विडियो ग्राफी करवाई जा सके।
- 5- मैं भलीभांति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण/विडियो ग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पाये जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- 6- मैं पशु शिविर/गौशाला की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पालना करूँगा।
- 7- जिले द्वारा समय-समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालन करूँगा।

तसदीक

SIGNATURE/ASSESTED

Keshar Singh Bhati

मैं जादम खां पुत्र/पत्नी श्री बच्चे खां जाति मुसलामन उम्र 50 साल निवासी- मारख का गाँव, ग्राम पंचायत सियाम्बर तहसील सम जिला- जैसलमेर राजस्थान शपथकर्ता तसदीक करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 7 तक दिया गया विवरण सत्य है।

SIGNATURE/ASSESTED

सचिव

मंगलिया गौशाला संस्थान
मारख का गाँव (सियाम्बर)

राजस्थान - सरकार
कार्यालय रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जैसलमेर

क्रमांक : 280



दिनांक : 02/09/2020

संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि "मंगलिया विकास संस्थान, सियाम्बर जिला जैसलमेर" का पंजीयन इस कार्यालय द्वारा पंजीयन क्रमांक 160/ जैसल/2005-2006 पंजीयन दिनांक 21.11.2005 को राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के तहत किया गया है।

आज दिनांक 02-09-2020 को इस संस्था का नाम परिवर्तन कर के "मंगलिया गीशाला संस्थान, मारख का गांव, सियाम्बर जिला जैसलमेर" कर दिया गया है।

यह संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र आज दिनांक 02 माह सितम्बर सन् दो हजार बी.ए. को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(सुजनाराम)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर